



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1267]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

**का.आ. 1435(अ).**—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, दिवालियापन और ऋण शोधन अधिमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को किसी चूक के मामले में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरु करने के लिए ऐसे निदेश, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 7/32/2017-बीओए (पार्ट)]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2017

**S.O. 1435(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 35AA of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby authorises the Reserve Bank of India to issue such directions to any banking company or banking companies which may be considered necessary to initiate insolvency resolution process in respect of a default, under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

[F. No. 7/32/2017 –BOA (pt.)]

MOHAMMAD MUSTAFA, Jt. Secy.